क्रम संख्या–16

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0–30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 15 फरवरी, 2013 ई0
माघ 26, 1934 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 59/XXXVI(3)/2013/64(1)/2012
देहरादून, 15 फरवरी, 2013

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तरॉचल विश्वविद्यालय विधेयक, 2012'** पर दिनांक 13 फरवरी, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 11 वर्ष, 2013 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराँचल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2013}

उच्च, तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा के विकास एवं उत्थान के क्षेत्र मे इन्जीनियरिंग, आर्किटेक्चर, तकनीकी, कम्यूनिकेशन, पर्यावरण, विधि एवं विधिक शिक्षा, प्रबन्धन, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, लाइफ साइंसेज, कृषि विज्ञान, एप्लाइड साइंसेज, सामाजिक विज्ञान, ह्यूमिनिटिज, आर्टस, कामर्स, मेडिसिन, डेन्टीस्ट्री, पैरा–मेडिकल, फार्मेसी, जर्नलिज्म, मॉस कम्यूनिकेशन, बायो–टैक्नोलॉजी, मैरिन साइंसेज, पेट्रोलियम स्टडीज, सौर ऊर्जा, होटल मैनेजमेन्ट व हॉस्पिटेलिटी और व्यावसायिक शिक्षा अर्थात् बी0एड0, एम0एड0, बी0पी0एड0, शोध व प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ऐसे अन्य कार्यक्रम या क्षेत्र, जो कि केन्द्रीय सरकार के राजपत्र अधिसूचना, जो कि इण्डियन आयुर्वेदिक काउन्सिल, इण्डियन डेन्टल सांइस काउन्सिल, इण्डियन फार्मेसी काउन्सिल, नेशनल टिचर्स ट्रैनिंग काउन्सिल, यूनिवर्सिटी ग्रान्टस कमीशन, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, डिस्टेन्स एजुकेशन काउन्सिल तथा अन्य व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित रेग्युलेटरी काउन्सिल से विचार–विमर्श के उपरान्त डिप्लोमा, डिग्री प्रदान करने व पी0एच0डी0, डी0फिल, डी0लिट0, डी0एस0सी0 से सम्बन्धित अनुसंधान की उन्नत सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से देहरादून में सुशीला देवी सेन्टर फॉर प्रोफेशनल स्टडीज एण्ड रिसर्च सोसाइटी (सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अधीन पंजीकृत सोसाइटी) द्वारा प्रायोजित उत्तरॉचल विश्वविद्यालय नामक विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौसठवे वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ

1\. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराँचल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 है।

(2) यह राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना जारी किये जाने वाली की तारीख से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं

2\. जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :–

(क) **'विद्या परिषद्'** से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) **'व्यवस्थापक मण्डल'** से विश्वविद्यालय का व्यवस्थापक मण्डल अभिप्रेत है;

(ग) **'भारतीय विधिज्ञ परिषद्'** से भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा बनाये गये नियम एडवोकेट्स अधिनियम, 1961 अभिप्रेत है;

(घ) **'बोर्ड ऑफ गवर्नर्स'** से विश्वविद्यालय का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अभिप्रेत है;

(ङ) **'कैरियर एकेडमी सेन्टर'** से ऐसा केन्द्र अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार की पूर्वानुमति से स्थापित, मान्य एवं अनुरक्षित हो, जिसका दूरदृश्य प्रसारण प्राप्त करने, ई–मेल, इन्टरनेट, पारस्परिक संवाद, प्रशिक्षण, व्याख्यान, गोष्ठी एवं कार्यशाला आयोजित करने, विद्यार्थियों के लिये सलाह परामर्श एवं अन्य सहायता के उद्देश्य से किया गया हो;

(च) **'कुलाधिपति'** से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अभिप्रेत है;

(छ) **'परिसर'** से विशविद्यालय द्वारा अनुरक्षित तथा विनियमों के आधार पर संचालित विश्वविद्यालय का परिसर अभिप्रेत है;

(ज) **'संघटक महाविद्यालय'** से विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित तथा विनियमों के आधार पर कोई महाविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है;

(झ) **'तकनीकी शिक्षा परिषद'** से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 3 के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है;

(ञ) **'दूरस्थ शिक्षा पद्धति'** से राज्य के भीतर शिक्षा की वह पद्धति अभिप्रेत है, जिसमें शिक्षण के लिए ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के माध्यमों, जैसे दूर–दृश्य प्रसारण (टेलीकास्टिंग), पत्राचार पाठ्यक्रम, गोष्ठी, सम्पर्क कार्यक्रम या ऐसे किसी दो या अधिक माध्यमों का संयुक्त रूप से उपयोग किया गया हो;

(ट) **'कर्मचारी'** से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई कर्मचारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय या इसके किसी परिसर या किसी संघटक महाविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारी भी सम्मिलित है;

(ठ) **'संकाय'** से विश्वविद्यालय की संकाय अभिप्रेत है;

(ड) **'वित्त समिति'** से विश्वविद्यालय वित्त समिति अभिप्रेत है;

(ढ) **'सरकार'** से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;

(ण) **'हॉल'** अथवा **'छात्रावास'** से विश्वविद्यालय अथवा संघटक महाविद्यालय द्वारा अनुरक्षित तथा मान्य छात्रों के आवास की इकाई अभिप्रेत है;

(त) **'सुशीला देवी सेन्टर फॉर प्रोफेशनल स्टडीज एण्ड रिसर्च सोसाइटी'** से सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अधीन पंजीकृत सोसाइटी अभिप्रेत है, जिसका पंजीकृत कार्यालय आरकेडिया ग्रान्ट, पोस्ट ऑफिस चन्दनवाडी, प्रेमनगर, देहरादून–248007 उत्तराखण्ड में अवस्थित है;

(थ) **'विहित'** से परिनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(द) परिसर के **'निदेशक'** या संघटक महाविद्यालय के सम्बन्ध में **'प्राचार्य'** से उस परिसर या संघटक महाविद्यालय का प्रधान अभिप्रेत है और इसमें जहां प्राचार्य नहीं है, उप–प्राचार्य या तत्समय प्राचार्य के रूप में कार्य के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित है;

(ध) **'कुलसचिव'** से विश्वविद्यालय का कुलसचिव अभिप्रेत है;

(न) **'क्षेत्रीय केन्द्र'** से ऐसा केन्द्र अभिप्रेत है, जिसकी स्थापना या अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किसी क्षेत्र में स्थित अध्ययन केन्द्रों के समन्वय, पर्यवेक्षण तथा प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदत्त कार्यो के निष्पादन के उद्देश्य से किया गया हो, जो कि विश्वविद्यालय/राज्य सरकार एवं यू0जी0सी0 की पूर्वानुमति से स्थापित किया गया हो;

(प) **'राज्य'** से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

(फ) **'परिनियम'** और **'नियमावली'** से क्रमशः विश्वविद्यालय का परिनियम और नियमावली अभिप्रेत है;

(ब) **'अध्ययन केन्द्र'** से विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे केन्द्र अभिप्रेत है, जिसकी स्थापना एवं अनुरक्षण विद्यार्थियों को सलाह, परामर्श या अन्य सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया, जो कि विश्वविद्यालय/राज्य सरकार एवं यू0जी0सी0 की पूर्वानुमति से स्थापित किया गया हो;

(भ) **'अध्यापक'** से आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य/व्याख्याता या ऐसा अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है, जिससे विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में शिक्षण प्रदान करने या शोध कार्य के संचालन के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदण्डो के अनुरूप नियुक्त किया जाये और इसके अन्तर्गत किसी परिसर का निदेशक या संघटक महाविद्यालय का प्राचार्य भी आता है;

(म) **'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग'** से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत स्थापित आयोग अभिप्रेत है;

(य) **'विश्वविद्यालय'** से इस अधिनियम के अधीन प्रस्तावित उत्तराँचल विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

(र) **'कुलाध्यक्ष (विजिटर)'** से विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष अभिप्रेत है।

अध्याय--2

विश्वविद्यालय और इसके उद्देश्य

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव

3. (1) सुशीला देवी सेन्टर फॉर प्रोफेशनल स्टडीज एण्ड रिसर्च सोसाइटी, देहरादून, जिसे यहाँ आगे सोसाइटी कहा गया है, को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा।

(2) सोसाइटी, राज्य सरकार को विश्वविद्यालय की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव सहित एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर चुकी है, जिसमें निम्न विवरण प्रस्तुत किये गये है :–

(क) सोसाइटी के पूर्ण विवरण सहित विश्वविद्यालय के उद्देश्य;

(ख) विश्वविद्यालय की प्रास्थिति, विस्तार और भूमि की उपलब्धता;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाले शैक्षिणिक एवं अनुसंधान कार्यक्रमों की प्रकृति एवं प्रकार;

(घ) विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों की प्रकृति के अनुसार चरणबद्ध शिक्षा एवं शोध कार्य आरम्भ करना;

(ङ) विश्वविद्यालय परिसर का विकास जैसे–भवन, उपस्कर तथा संरचनात्मक सुविधाएं;

(च) आगामी पांच वर्षों के लिये पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध परिव्यय;

(छ) मदवार आवर्ती व्यय, वित्तीय स्रोत एवं प्रत्येक छात्र के लिये अनुमानित व्यय;

(ज) संसाधन जुटाने की योजना तथा उसकी पूंजीगत लागत और उन्हें चुकाने के तरीके;

(झ) आन्तरिक संसाधनों–विद्यार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क, परामर्श एवं अन्य विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से सम्बन्धित अन्य गतिविधियों से प्रत्याशित राजस्व एवं अन्य प्रत्याशित आय द्वारा आन्तरिक निधियों के सृजन की योजना;

(ञ) संस्था की लागत पर आने वाले व्यय, आर्थिक दृष्टि से पिछडे वर्गों के छात्रों के लिये शिक्षण शुल्कों में दी जाने वाली रियायतों या छूटों की सीमा, निःशुल्कता और छात्रवृत्तियाँ तथा अप्रवासी भारतीयों एवं विदेशों से आने वाले विद्यार्थियों से विभिन्न दरों पर, यदि कोई हो, लिये जाने वाले शुल्कों के स्वरूप का ब्यौरा;

(ट) सोसाइटी में उपलब्ध सम्बन्धित विषयों में विशेषज्ञता एवं अनुभव की

अवधि तथा वित्तीय संसाधन;

(ठ) विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमो के लिबे छात्रों की चयन पद्धति; तथा

(ड) विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्व ऐसी अन्य शर्तो की, जिनकी पूर्ति प्रदेश सरकार द्वारा अपेक्षित हो, पूर्ति की प्रास्थिति।

विश्वविद्यालय की स्थापना

4. (1) राज्य सरकार आवश्यक जाँच करने के उपरान्त संतुष्ट है कि प्रायोजित संस्थान ने सभी शर्ते और आवश्यकताओं को पूर्ण कर लिया है और उसे ''उत्तराँचल विश्वविद्यालय'' ज्ञात नाम से उत्तरांचल राज्य में विश्वविद्यालय स्थापित किया जाता है।

(2) विश्वविद्यालय ''उत्तराँचल विश्वविद्यालय'' के नाम से एक निगमित निकाय होगा और शाश्वत उत्तराधिकारी होगा, उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और वह अपने नाम से वाद दायर कर सकेगा और उस पर वाद दायर किया जा सकेगा।

(3) (क) विश्वविद्यालय का मुख्यालय देहरादून, उत्तराखण्ड में अवस्थित होगा तथा उसका अन्य परिसर, रीजनल सेन्टर्स, अध्ययन केन्द्र व कैरियर एकेडमी सेन्टर्स की स्थापना राज्य के अन्य स्थानों पर भी, जैसा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये, हो सकेगी, बशर्ते कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य संवैधानिक निकायों द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं का पालन किया जायेगा। विश्वविद्यालय पाँच वर्ष की अवधि के बाद राज्य सरकार के अनुमति से राज्य के अन्दर दूसरा परिसर खोल सकता है। विश्वविद्यालय पर्वतीय क्षेत्रों में 2500 फुट के ऊपर द्वितीय परिसर खोलने की कोई समय सीमा नही होगी;

(ख) विश्वविद्यालय को अन्य विभाग/विषय प्रारम्भ करने के लिए, यदि अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता हो, जैसा कि संवैधानिक निकायों के मानकानुसार आवश्यकता हो, विश्वविद्यालय या तो मुख्य परिसर से सटा हुआ या अलग (स्प्लिट) परिसर देहरादून क्षेत्र में ही स्थापित कर सकता है।

(4) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति एवं व्यवस्थापक मंडल, प्रबन्ध मंडल एवं विद्या परिषद् के सदस्य उपधारा (2) के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय में तत्समय उक्त पदों पर कार्य करते हुये नियमित निकाय गठित कर सकेंगे और विश्वविद्यालय के नाम से वाद दायर कर सकेंगे एवं उन पर वाद लाया

जा सकेगा।

(5) उपधारा (2) के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने पर विश्वविद्याालय के प्रयोजन हेतु सोसाइटी द्वारा लॉ कालेज देहरादून, उत्तराँचल इन्स्टीटयूट ऑफ टैक्नोलोजी, उत्तराँचल इन्स्टीटयूट ऑफ मैनेजमेन्ट, उत्तराँचल इन्स्टीटयूट ऑफ बिजनेस स्टडीज द्वारा अधिग्रहीत निर्मित, सृजित, व्यवस्थित अथवा निर्मित भूमि, चल एवं अचल सम्पत्तियाँ भी लिये जाने पर सोसाइटी की सारी सम्पत्तियॉ विश्वविद्यालय को अन्तरित एवं उसमें निहित हो जायेगी।

(6) विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध भूमि, भवन, विभिन्न विभागों/संकायों के संचालित समस्त पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित सर्वोच्च नियामक निकाय के मानकों के अनुसार होना आवश्यक होगा।

(7) विश्वविद्यालय के पास प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये सर्वोच्च नियामक निकायों द्वारा निर्धारित भूमि व भवन होने चाहिये।

विश्वविद्यालय का वित्तीय सहायता आदि के लिए हकदार न होना

5. विश्वविद्यालय स्वतः वित्त पोषक होगा और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, या नियन्त्रणाधीन किसी अन्य निकाय, या निगम से किसी प्रकार की सहायता, अनुदान या किसी अन्य वित्तीय सहायता की न तो कोई माँग करेगा और न ही उसके लिये हकदार होगा।

किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना

6. विश्वविद्यालय में संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द, शोध केन्द्र, एवं कैरियर एकेडमी सेन्टर उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत राज्य सरकार/यू0जी0सी0 की पूर्वानुमति से विश्वविद्यालय की स्थापना के पाँच वर्ष के उपरान्त हो सकते है, किन्तु उसे किसी अन्य महाविद्यालय, या संस्था को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के स्थापना का प्रभाव

7. इस अधिनियम के प्रभाव मे आने के दिन से :-

(1) लॉ कालेज देहरादून, जो वर्तमान में हेमवती नन्दन बहुगुणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढवाल से सम्बद्ध है तथा उत्तरांचल इन्स्टीटयूट ऑफ टैक्नोलॉजी, उत्तरांचल इन्स्टीटयूट ऑफ मैनेजमेन्ट, उत्तरांचल इन्स्टीटयूट ऑफ बिजनेस स्टडीज जो वर्तमान में उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून एवं हेमवती नन्दन बहुगुणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढवाल से सम्बद्ध है किसी भी प्रकार के संविदा या अन्य साधन

उत्तराँचल विश्वविद्यालय के अन्तर्गत निहित होगें, जो इस अधिनियम के द्वारा स्थापित होगें;

(2) प्रत्येक कर्मचारी इस अधिनियम के अधीन स्थापित क्रमशः लॉ कालेज देहरादून, उत्तरांचल इन्स्टीटयूट ऑफ टेक्नोलोजी, उत्तरांचल इन्स्टीटयूट ऑफ मैनेजमेन्ट, उत्तरांचल इन्स्टीटयूट ऑफ बिजनेस स्टडीज की सेवा या अपने पद पर उसी अवधि के लिये उसी पारिश्रमिक और सेवा शर्तों तथा उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों यथा छुट्टी, उपादान और भविष्य निर्वाह निधि एवं अन्य मामले, तब तक, जब तक कि उनकी सेवायें समाप्त अथवा ऐसी अवधि, पारिश्रमिक और सेवा शर्तो, परिनियमों के द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नही कर दी जाती, जैसा कि यदि यह अधिनियम प्रख्यापित नहीं हुआ होता तो वह इस अधिनियम से पूर्व धारण करते रहते :

परन्तु यह कि यदि ऐसा परिवर्तन, ऐसी सेवा के लिये स्वीकार नही होता तो विश्वविद्यालय में नियोक्ता द्वारा संविदा की शर्तों के अनुसार अथवा यदि इस सम्बन्ध में कोई उपबन्ध न बने हो तो विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी कर्मचारियों के मामले में तीन महीने और अन्य कर्मचारियों के मामले में एक महीने के पारिश्रमिक के समतुल्य क्षतिपूर्ति के भुगतान पर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं :

परन्तु यह और कि इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व प्रत्येक नियुक्त व्यक्ति इस धारा के अधीन लम्बित संविदा का निष्पादन इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के संगत संविदा के उपबन्धो के अनुसार नियुक्त समझा जायेगा।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

8. (1) जिन उद्देश्यों के लिये विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, वे निम्नवत् हैं :–

(क) उच्च शिक्षा, ज्ञान का प्रसार, अनुसंधान आदि के प्रबन्ध तथा तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा के विकास एवं उत्थान के क्षेत्र मे इन्जीनियरिंग, आर्किटेक्चर, तकनीकी, कम्यूनिकेशन, पर्यावरण, विधि एवं विधिक शिक्षा, प्रबन्धन, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, लाइफ साइंसेज, कृषि विज्ञान, एप्लाइड साइंसेज, सामाजिक विज्ञान, ह्यूमिनिटिज, आर्टस, कामर्स, मेडिसिन, डेन्टीस्ट्री, पैरा–मैडिकल, फार्मेसी, जर्नलिज्म, मॉस कम्यूनिकेशन, बॉयो–टैक्नोलॉजी, मैरिन साइंसेज, पेट्रोलियम स्टडीज, सौर ऊर्जा,

होटल मैनेजमेन्ट व हॉस्पिटेलिटी और व्यावसायिक शिक्षा अर्थात बी0एड0, एम0एड0, बी0पी0एड0, शोध व प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ऐसे अन्य कार्यक्रम हेतु डिप्लोमा, डिग्री, प्रदान करने तथा पी0एच0डी0, डी0फिल, डी0लिट0, डी0एस0सी0 से सम्बन्धित अनुसंधान की उन्नत सुविधायें प्रदान करना;

(ख) इन्जीनियरिंग, आर्किटेक्चर, तकनीकी, कम्यूनिकेशन, पर्यावरण, विधि एवं विधिक शिक्षा, प्रबन्धन, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, लाइफ साइंसेज, कृषि विज्ञान, एप्लाइड साइंसेज, सामाजिक विज्ञान, ह्यूमिनिटिज, आर्टस, कामर्स, मेडिसिन, डेन्टीस्ट्री, पैरा–मैडिकल, फार्मेसी, जर्नलिज्म, मॉस कम्यूनिकेशन, बॉयो–टेक्नोलॉजी, मैरिन साइंसेज, पेट्रोलियम स्टडीज, सौर ऊर्जा, होटल मैनेजमेन्ट व हॉस्पिटेलिटी, और व्यावसायिक शिक्षा अर्थात् बी0एड0, एम0एड0, बी0पी0एड0, शोध व प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ऐसे अन्य कार्यक्रम हेतु उच्च एवं तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा तथा उससे सम्बन्धित आनुषंगिक विषयों से सम्बन्धित आदि संघटक महाविद्यालय की स्थापना तथा डिप्लोमा एवं स्नातक पाठ्यक्रम प्रदान करना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने का अधिकार व अन्य डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम प्रदान करने के उददेश्य;

(ग) व्यावसायिक व तकनीकी पाठ्यक्रमों के विकास, प्रोत्साहन, लचीलापन व उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान के लिये इन्जीनियरिंग, आर्किटेक्चर, तकनीकी, कम्यूनिकेशन, पर्यावरण, विधि एवं विधिक शिक्षा, प्रबन्धन, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, लाइफ साइंसेज, कृषि विज्ञान, एप्लाइड साइंसेज, सामाजिक विज्ञान, ह्यूमिनिटिज, आर्टस, कामर्स, मेडिसिन, डेन्टीस्ट्री, पैरा–मैडिकल, फार्मेसी, जर्नलिज्म, मॉस कम्यूनिकेशन, बॉयो–टेक्नोलॉजी, मैरिन साइंसेज, पेट्रोलियम स्टडीज, सौर ऊर्जा, होटल मैनेजमेन्ट व हॉस्पिटेलिटी और व्यावसायिक शिक्षा अर्थात बी0एड0, एम0एड0, बी0पी0एड0, शोध व प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ऐसे अन्य कार्यक्रम हेतु उच्च एवं तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा तथा उससे सम्बन्धित आनुषंगिक विषयों से सम्बन्धित सुविधाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदान करना;

(घ) शिक्षा के उन्नयन एवं प्रसार हेतु सूचना की अन्य पारम्परिक एवं आधुनिक माध्यमों के द्वारा शिक्षा के अवसर जनसंख्या के एक बडे वर्ग को प्रदान करना, साथ ही भलाई के लिए दूरस्थ शिक्षा को भी बढावा देना। उच्च शिक्षा में वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली, पारम्परिक शिक्षा प्रणाली के साथ जोड़कर इस देश में शिक्षा को नये आयाम तक पहुॅचाना;

(ङ) उपरोक्त (ख) में उल्लेखित पाठ्यक्रमों के लिए दूरस्थ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना तथा शिक्षा उन्नयन के कार्यक्रमों को निरन्तर बढावा देना।

(च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं सम्बन्धित राज्य सरकार की सहमति से अन्य राज्यों में परिसर की स्थापना करना।

(2) अनुसंधान और विकास केन्द्रों की स्थापना करना, जिसका उद्देश्य उच्च तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा के विकास एवं उत्थान के क्षेत्र में इन्जीनियरिंग, आर्किटेक्चर, तकनीकी, कम्यूनिकेशन, पर्यावरण, विधि एवं विधिक शिक्षा, प्रबन्धन, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, लाइफ साइंसेज, कृषि विज्ञान, एप्लाइड साइंसेज, सामाजिक विज्ञान, ह्यूमिनिटिज, आर्टस, कामर्स, मेडिसिन, डेन्टीस्ट्री, पैरा–मैडिकल, फार्मेसी, जर्नलिज्म, मॉस कम्यूनिकेशन, बॉयो–टेक्नोलॉजी, मैरिन साइंसेज, पेट्रोलियम स्टडीज, सौर ऊर्जा, होटल मैनेजमेन्ट व हॉस्पिटेलिटी और व्यावसायिक शिक्षा अर्थात बी0एड0, एम0एड0, बी0पी0एड0, शोध व प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ऐसे अन्य कार्यक्रम हेतु डिप्लोमा, डिग्री, प्रदान करने तथा पी0एच0डी0, डी0फिल, डी0 लिट0, डी0एस0सी0 से सम्बन्धित अनुसंधान की उन्नत सुविधायें प्रदान करना जो उत्तराखण्ड राज्य के क्षेत्राधिकार मे हैं :–

(क) मानवता के उन्नयन के लिये पूरे विश्व में फैले हुये इस प्रकार की गतिविधियां जो पारम्परिक, संस्थागत, दूरस्थ माध्यमों के द्वारा शिक्षा देना व अनुसंधान की सुविधायें बिना किसी जाति, रंग, वर्ण एवं वर्ग में भेदभाव किये प्रदान करना;

(ख) मौलिक तथा मानवीय ज्ञान की वृद्धि एवं प्रसार हेतु प्रोत्साहित करना, उन क्षेत्रों में शिक्षा, दिशा निर्देश, प्रशिक्षण प्रदान करना, जो इसके लिये उपयुक्त समझे जायें।

(ग) ज्ञान की उन शाखाओं में शिक्षण, निर्देशन एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराना जिनमें वह उपयुक्त समझें।

विश्वविद्यालय के कर्तव्य व शक्तियाँ

9. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होगी; अर्थात् :–

(1) विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों/विभागों में आधुनिक विषयों को केन्द्रित करके ऐसे दिशा–निर्देश प्रदान करना, जिसमें प्रत्येक संकाय उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में विकसित हो तथा संबंधित सभी विषयों में अनुसंधान एवं ज्ञान के अभिवर्धन और प्रसार का प्राविधान करना।

(2)(क) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसी अन्य समस्त गतिविधियां सम्पादित करना, जो आवश्यक अथवा साध्य हो;

(ख) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षायें आयोजित करना तथा उन्हें उपाधियॉ या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें संस्थित और प्रदान करना; अर्थात् :–

(1) ऐसे व्यक्तियों के लिये परीक्षायें आयोजित करना तथा उन्हें उपाधियॉ या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें संस्थित और प्रदान करना;

(2) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में कोई पाठ्यकम प्रारम्भ करना;

(3) परिनियमों/प्राविधानों में अभिकथित रीति से और शर्तों के अधीन मानद् उपाधियों, या अन्य शैक्षिक विशेषतायें प्रदान करना;

(4) परिनियमों के अनुसार अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां तथा पुरस्कार संस्थित एवं प्रदान करना;

(5) ऐसी फीस, बिल, बीजक की मांग करना और प्राप्त करना, प्रभार संग्रह करना, जो यथास्थिति, परिनियमों या नियमों द्वारा नियत किया जायें;

(6) छात्रों एवं कर्मचारियों के लिये शिक्षा के अतिरिक्त पाठ्येत्तर अन्य किया–कलापों का प्राविधान करना;

(7) शिक्षा के प्रोत्साहन का उपबन्ध करना, जिसमें उच्च, तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा के विकास एवं उत्थान के क्षेत्र में इन्जीनियरिंग, आर्किटेक्चर, तकनीकी, कम्यूनिकेशन, पर्यावरण, विधि एवं विधिक शिक्षा, प्रबन्धन, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, लाइफ साइंसेज, कृषि विज्ञान, एप्लाइड साइंसेज, सामाजिक विज्ञान, ह्यूमिनिटिज, आर्टस, कामर्स, मेडिसिन, डेन्टीस्ट्री, पैरा–मैडिकल, फार्मेसी, जर्नलिज्म, मॉस कम्यूनिकेशन, बॉयो–टेक्नोलॉजी, मैरिन साइंसेज, पेट्रोलियम स्टडीज, सौर ऊर्जा, होटल मैनेजमेन्ट व हॉस्पिटेलिटी और व्यवसायिक शिक्षा अर्थात बी0एड0, एम0एड0, बी0पी0एड0, शोध व प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ऐसे अन्य कार्यक्रम हेतु डिप्लोमा, डिग्री, प्रदान करने तथा पी0एच0डी0,

डी0फिल, डी0लिट0, डी0एस0सी0 से सम्बन्धित अनुसंधान की उन्नत सुविधायें प्रदान करना;

(8) विश्वविद्यालय अथवा संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों में संकाय अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना;

(9) सोसाइटी की पूर्व अनुमति से विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रो, अध्ययन केन्द्रो और कैरियर एकेडमी सेन्टर्स के प्रयोजनार्थ संदान और किसी प्रकार के उपहार प्राप्त करना तथा सोसाइटी और विन्यास की सम्पत्तियों सहित किसी चल, अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण धारण, प्रबन्ध, अनुरक्षण और निपटारा करना;

(10) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, के छात्रों के लिये हाल, व्याख्यान कक्षों की स्थापना और उनका अनुरक्षण करना और निवास स्थानों एवं छात्र/छात्रावासों को निश्चित करना;

(11) आवास एवं छात्र/छात्रावासों का नियन्त्रण, पर्यवेक्षक और समस्त श्रेणी के कर्मचारियों एवं छात्रों के मध्य अनुशासन पर नियन्त्रण रखना तथा आचार संहिता सहित ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्ते विनिर्दिष्ट करना;

(12) शैक्षणिक, प्रशासनिक, प्रबन्धन एवं सहायक कर्मचारियों और अन्य आवश्यक पदों का सृजन;

(13) अन्य विश्वविद्यालय से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये सहकार्य या सहयोग करना, जिन्हें विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करे;

(14) डी0ई0सी0 की पूर्वानुमति से दूरस्थ शिक्षा पद्धति और ऐसी रीति की व्यवस्था करना, जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के अनुसार दूरस्थ शिक्षा को आयोजित किया जा सके;

(15) अध्यापकों पाठ लेखको, मूल्यॉककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अभिविन्यास पाठ्यक्रम, कार्यशालायें, संगोष्ठियां और अन्य कार्यक्रम आयोजित और संचालित करना;

(16) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र, और कैरियर एकेडमी सेन्टर्स में विशिष्ट समितियों के माध्यम से एवं विद्या परिषद् के अनुमोदन से प्रवेश के लिये मानक निर्धारित करना;

(17) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र, और कैरियर एकेडमी सेन्टर्स में किसी पाठयक्रम में प्रवेश के लिये उत्तराखड राज्य के छात्रों के लिये विशेष व्यवस्था करना;

(18) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसार करने के लिये यथा आवश्यक ऐसे अन्य सभी कार्य करना चाहें वे उपर्युक्त शक्तियों के प्रांसगिक हो या न हो;

(19) उच्च, तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा के विकास एवं उत्थान हेतु इन्जीनियरिंग, आर्किटेक्चर, तकनीकी, कम्यूनिकेशन, पर्यावरण, विधि एवं विधिक शिक्षा, प्रबन्धन, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, लाइफ साइंसेज, कृषि विज्ञान, एप्लाइड साइंसेज, सामाजिक विज्ञान, ह्यूमिनिटिज, आर्टस, कामर्स, मेडिसिन, डेन्टीस्ट्री, पैरा–मैडिकल, फार्मेसी, जर्नलिज्म, मॉस कम्यूनिकेशन, बॉयो–टेक्नोलॉजी, मैरिन साइंसेज, पेट्रोलियम स्टडीज, सौर ऊर्जा, होटल मैनेजमेन्ट व हॉस्पिटेलिटी और व्यावसायिक शिक्षा अर्थात बी0एड0, एम0एड0, बी0पी0एड0, शोध व प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ऐसे अन्य कार्यक्रम हेतु डिप्लोमा, डिग्री, प्रदान करने तथा पी0एच0डी0, डी0फिल, डी0लिट0, डी0एस0सी0 से सम्बन्धित अनुसंधान आदि के लिये पाठ्यक्रम आरम्भ करना;

(20) विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधयॉ, सोसाइटी की गतिविधियों से स्पष्टतः विलग होगी;

(21) फिल्म कैसेट, टैप, वीडियो कैसेट, सी0डी0, वी0सी0डी0 और अन्य सॉफ्टवेयर इत्यादि सहित शैक्षिक सामग्री तैयार करने की व्यवस्था करना;

(22) अन्य विश्वविद्यालय, संस्थाओं एवं उच्च शिक्षा केन्द्रों की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि (पूर्ण या आंशिक) को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि के समतुल्य मान्यता प्रदान करना और उनको दी गई मान्यता किसी भी समय समाप्त करना;

(23) व्यवस्थापक मण्डल के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर या उसके बिना विश्वविद्यालय के लिये धन जुटाना, संग्रह करना, स्वीकार करना और ऋण प्राप्त करना;

(24) संविदा करना, उसका निष्पादन करना, उसमें परिवर्तन करना या उसे समाप्त करना;

(25) विश्वविद्यालय के उद्देश्यो को बढावा देने के लिये विजिटिंग प्राचार्य, विशेषज्ञ प्राचार्य, विशेषज्ञ या ऐसे व्यक्तियों को संविदा के आधार पर नियुक्त करना।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी और उपधारा (1) व (2) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों को प्रोत्साहित करने तथा ऐसी प्रणालियों के शिक्षण, मूल्यांकन और शोध मानक निर्धारित करने के लिए वे सभी उपाय करना विश्वविद्यालय का कर्तव्य होगा, जो वह उचित समझे और इस कार्य के निष्पादन हेतु विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों और कैरियर एकेडमिक सैण्टर्स को चाहे उन्हें विशेषाधिकार स्वीकृत हुए हो अथवा नहीं अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थान को अनुदानों के आवंटन एवं संवितरण की शक्ति सहित ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें।

विश्वविद्यालय में सभी वर्ग, जाति एवं लिंग की पहुँच होगी

10. विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिये चाहे वो किसी भी वर्ग, जाति या लिंग के हों, के प्रवेश के लिए खुला रहेगा :

परन्तु यह कि इस धारा की किसी बात से यह नही समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तराखण्ड के विद्यार्थियों के लिये विशेष प्राविधान करने का प्रतिबन्ध है :

परन्तु यह और कि इस धारा के किसी बात के होते हुए भी यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, कैरियर एकेडमिक सेन्टर्स द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में परिनियमों द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश देना अपेक्षित है।

राष्ट्रीय प्रत्यायन

11. विश्वविद्यालय विभिन्न राष्ट्रीय प्रत्यायन संस्थाओं से मान्यता प्राप्त करेगा।

अध्याय–3

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

12. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होगें; अर्थात् :–

(क) कुलाध्यक्ष (विजिटर);

(ख) कुलाधिपति;

(ग) कुलपति;

(घ) प्रति–कुलपति (प्रो–वाइस चांसलर);

(ङ) संकायाध्यक्ष;

(च) कुलसचिव;

(छ) वित्त अधिकारी; और

(ज) ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें सांविधियों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

कुलाध्यक्ष (विजिटर)

13. (1) उत्तराखण्ड का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा।

(2) कुलाध्यक्ष, जब उपस्थित हो, तो उपाधियां एवं डिप्लोमा प्रदान करने के लिये आंयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगें।

(3) कुलाध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियां होगी; अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय के मामलों से सम्बन्धित किसी भी अभिलेख, पत्र या सूचना को मांगना,

(ख) कुलाध्यक्ष को प्राप्त सूचना के आधार पर यदि कुलाध्यक्ष द्वारा उसका समाधान हो जाता है कि कोई आदेश, कार्यवृत्त या निर्णय चाहे विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय, अधिनियम, विनियम अथवा नियमावली के अनुरूप नही है, तो वह ऐसे निर्देश जारी कर सकते हैं जिन्हें वह विश्वविद्यालय के हित में उचित समझे, निर्देश दे सकेगें और इस प्रकार जारी किये गये निर्देशों का सभी सम्बन्धितो द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

(4) मानद उपाधि या विशिष्टता प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाध्यक्ष के अनुमोदन के अध्यधीन होगा।

कुलाधिपति

14. (1) सोसाइटी के अध्यक्ष विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति होगें, जिनका कार्यकाल पाँच वर्ष की अवधि का होगा। तत्पश्चात सोसाइटी कुलाध्यक्ष की पूर्व सहमति से कुलाधिपति का कार्यकाल आगामी पाँच वर्षो के लिये विस्तारित किया जा सकेगा अथवा सोसाइटी के सदस्यों में से ही नये कुलाधिपति को नियुक्त किया जा सकेगा।

(2) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय का सर्वोच्च अधिकारी होगा।

(3) कुलाधिपति, गवर्निंग बॉडी की बैठक का संचालन करेगा तथा कुलाध्यक्ष की

अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोहों की अध्यक्षता करेगा तथा डिग्री प्रदान करेगा।

(4) कुलाधिपति की निम्नलिखित शक्तियां होगी; अर्थात् :–

(क) कोई भी सूचना या अभिलेख मांगने का अधिकार

(ख) कुलपति की नियुक्ति का अधिकार

(ग) कुलपति को पदच्युत करने का अधिकार

(घ) ऐसीं अन्य शक्तियां, जो इस अधिनियम में विहित की गयी हो।

कुलपति

15. (1) कुलाधिपति द्वारा उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से तीन वर्ष की अवधि के लिये ऐसे निबंधनो और शर्तो पर जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जायें, कुलपति की नियुक्ति की जायेगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होगें; अर्थात् :–

(क) कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य;

(ख) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा मनोनीत तीन सदस्य, जिनमें से एक को व्यवस्थापक मण्डल द्वारा समिति के संयोजक के रूप में नामित किया जायेगा।

(3) समिति योग्यता के आधार पर कुलपति के पद के योग्य तीन व्यक्तियों का पैनल तैयार करेगी और प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षिक योग्यताओं तथा अन्य विशिष्टताओं के संक्षिप्त विवरण के साथ उसे कुलाधिपति को भेज देगी।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा, जो कि विश्वविद्यालय के कार्यकलापो पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियन्त्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को लागू करेगा।

(5) जहाँ अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी सशक्त अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा, जो वह उचित समझे।

(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों या नियमावली द्वारा अधिकथित किये जायें।

(7) कुलाधिपति को सम्यक् जाँच के बाद कुलपति को हटाने का अधिकार प्राप्त है। कुलाधिपति जाँच के दौरान आरोपो की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये, जैसा वह उचित समझें, कुलपति को निलम्बित कर सकेंगे।

प्रति–कुलपति (प्रो–वाइस चांसलर) 16. प्रति–कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से ऐसी रीति से की जा सकेगी, जैसी कि परिनियमों में विहित की जायें और प्रति–कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

संकायाध्यक्ष 17. संकायाध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से ऐसी रीति से की जायेगी कि परिनियमों द्वारा वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

कुलसचिव 18. (1) कुलसचिव की नियुक्ति, कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से एवं ऐसे निबन्धनों और शर्तो पर की जायेगी, जैसे कि विहित की जाये।

(2) कुलसचिव, विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।

(3) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखो को अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो विहित किये जायें या कुलाधिपति या कुलपति द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हो।

(4) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा और वह कुलाधिपति, कुलपति या किंसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष ऐसी समस्त सूचनायें और दस्तावेज, जो उनके कार्य सम्पादन के लिये आवश्यक हों, को प्रस्तुत करने के लिये बाध्य होगा।

वित्त अधिकारी 19. वित्त अधिकारी, कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग अथवा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कि विहित किये जाये।

अन्य अधिकारी गण 20. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा के निबन्धन और शर्ते, तथा शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे, जो विहित किये जाये।

अध्याय–4

उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों के लिए उपबन्ध

उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के लिए उपबन्ध

21. (1) विश्वविद्यालय में संचालित सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 40 प्रतिशत स्थान उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों के लिये उपबन्ध के लिये आरक्षित होगें, यदि स्थायी निवासियों हेतु आरक्षित सीटें खाली रह जाती है, तो रिक्त सीटें अन्य राज्यों के योग्य छात्रों द्वारा भरी जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्क्रमों में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों, जो प्रदेश के स्थायी निवासी हो, को निर्धारित शिक्षण शुल्क में 26 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

(3) प्रदेश के स्थायी निवासियों को, जो समूह "ग" व "घ" श्रेणी के पदों पर इन श्रेणियों में समस्त पदों पर नियुक्तियाँ की जायेगी।

(4) प्रदेश के स्थायी निवासियों को शैक्षणिक संवर्ग की रिक्तियों में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

(5) राज्य सरकार की प्रवृत्त/समय–समय पर संशोधित आरक्षण नीति का विश्वविद्यालय द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

अध्याय–5

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

22. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होगें; अर्थात् : –

(क) व्यवस्थापक मण्डल

(ख) प्रबन्धक मण्डल

(ग) विद्या परिषद्

(घ) वित्त समिति, और

(ङ) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें सांविधियों द्वारा विश्वविद्यालय के परिनियमों में प्राधिकारी घोषित किये जायेगे।

व्यवस्थापक मण्डल व उसकी शक्तियां

23. (1) व्यवस्थापक मण्डल में निम्नलिखित अधिकारी होगें :–

(क) कुलाधिपति – अध्यक्ष

(ख) कुलपति – सदस्य सचिव

(ग) कुलाध्यक्ष (विजिटर) द्वारा नामित शिक्षाविद् –एक सदस्य

(घ) राज्य सरकार द्वारा नामित – एक सदस्य

(ङ) सोसाइटी द्वारा नामित – पाँच सदस्य

(च) आमन्त्रित प्रख्यात शिक्षाविद् – तीन सदस्य

(2) व्यवस्थापक मण्डल, विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासनिक संस्था होगी और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी; अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों का निर्धारण;

(ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का यदि वे ऐसे अध्यादेशों या परिनियमों या नियमावली के उपबन्धों के अनुरूप न हो का पुर्नावलोकन;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन;

(घ) नई अथवा अतिरिक्त परिनियमों को बनाना या पूर्व में बने परिनियमों अथवा नियमावलियों का संशोधन या निरसन;

(ङ) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक समापन के सम्बन्ध में विनिश्चय करना;

(च) राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों का अनुमोदन, और

(छ) ऐसे निर्णय एवं उपाय करना, जो विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों के प्रभावी ढंग से निष्पादन के लिए वांछनीय पाये गये है।

(3) व्यवस्थापक मण्डल की वर्ष में न्यूनतम दो बैठकें ऐसे समय और स्थान पर होगीं, जैसा कि कुलाधिपति उचित समझें।

प्रबन्ध मण्डल

24. (1) प्रबन्ध मण्डल में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(क) कुलपति

(ख) रजिस्ट्रार

(ग) सोसाइटी द्वारा नामित – पाँच सदस्य

(घ) एक वर्ष की अवधि के लिये ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय के – दो प्राध्यापक

(ङ) कुलाधिपति द्वारा नामित – दो संकायाध्यक्ष

(च) कुलपति, प्रबन्ध मण्डल का सभापति एवं कुलसचिव इसके सचिव होंगे।

(2) प्रबन्ध मण्डल की शक्तियां एवं कृत्य वहीं होंगे, जो विहित किये जायें।

विद्या परिषद्

25. (1) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे; अर्थात् : –

(क) कुलपति – सभापति

(ख) कुल सचिव – सचिव

(ग) ऐसे अन्य सदस्य – जैसा परिनियमों में विहित किया जाये।

(2) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक संस्था होगी और इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों तथा नियमावली के अन्तर्गत रहते हुये विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों में समन्वय स्थापित करेगी और उनका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

वित्त समिति

26. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(क) कुलपति – सभापति

(ख) वित्त अधिकारी – सचिव

(ग) ऐसे अन्य सदस्य, जो परिनियम में विहित किये जायें।

(2) वित्त समिति विश्वविद्यालय की प्रमुख वित्तीय संस्था होगी, जो वित्तीय मामलों की देखभाल करेगी, और इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों तथा नियमावली के अध्यधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों में समन्वय स्थापित करेगी एवं उनका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

अन्य प्राधिकरण

27. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे कि विहित किये जाये।

रिक्ति के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना

28. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि प्राधिकरण के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि विद्यमान थी।

अध्याय–6

परिनियम और नियमावली

परिनियम

29. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये, विश्वविद्यालय तथा कर्मचारियों के सम्बन्ध में किसी विषय के लिये परिनियम और नियमावली द्वारा व्यवस्था की जा सकती है, जो निम्नवत है :–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के कार्य सम्पादन और ऐसी इकाइयों के गठन की प्रक्रिया, जो इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं की गई है;

(ख) स्थाई विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि का संचालन;

(ग) कुलपति, कुलसचिव और वित्त अधिकारी की नियुक्ति की शर्तें, तथा उनकी शक्तियां;

(घ) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, अध्यापको और कर्मचारियों की भर्ती व रीति और सेवा शर्ते;

(ङ) विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों, संकाय के सदस्यों, कर्मचारियों और छात्रों के मध्य विवादों के निराकरण की प्रकिया;

(च) विभागों और संकायों का सृजन, समउत्पादन और उसकी पुनर्संरचना;

(छ) अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा की संस्थाओं के साथ सहयोग की रीति;

(ज) मानद् उपाधियों को प्रदान करने की प्रकिया;

(झ) निःशुल्कता और छात्रवृत्तियां प्रदान करने के सम्बन्ध मे उपबन्ध;

(ञ) विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता की संख्या तथा ऐसे पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश की, जिसमें प्रवेश क्षमता का आरक्षण की प्रकिया भी सम्मिलित है तथा उत्तराखण्ड के विद्यार्थियों के लिये प्रवेश क्षमता के आरक्षण की प्रक्रिया;

(ट) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क;

(ठ) अध्येतावृतियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, फीस माफी, पद्कों और पुरस्कारों की स्थापना;

(ड) पदों का सृजन और समापन की प्रकिया;

(ढ) अन्य मामले, जो विहित किये जाये।

परिनियम कैसे बनाये जायें

30. (1) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनाये गये प्रथम परिनियम राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे, जो उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के परिनियमों की प्राप्ति के दिनांक के दो माह के अन्दर अपना अनुमोदन दे सकेगी।

(2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में परिनियमों के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय करने में असफल रहती है, वहाँ यह समझा जायेगा कि राज्य सरकार ने परिनियमों को अनुमोदित कर दिया है।

परिनियम संशोधन करने की शक्ति

31. व्यवस्थापक मण्डल, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।

नियम

32. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए, नियमों में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिये उपबन्ध किये जा सकेंगे; अर्थात्:–

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश, उनका नामांकन और इस रूप में बने रहना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य विशिष्टताओं के लिये निर्धारित किये जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ग) उपाधियां और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं को प्रदान करना;

(घ) अध्येतावृतियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक तथा पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें;

(ङ) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा लेने वाले निकायों, परीक्षको, अन्तरीक्षकों, सारणीकारों तथा अनुसीमकों की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्तव्य;

(च) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं में प्रवेश करने के लिये लिया जाने वाला शुल्क;

(छ) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;

(ज) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाये रखना;

(झ) अन्य सभी विषय, जिनके लिये इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों या परिनियमों में प्राविधान किया जायें।

नियमावली कैसे बनायी जायेगी

33. (1) नियमावली व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनायी जायेंगी और इस प्रकार बनायी गई नियमावली राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जायेगी, जो कि नियमावली की प्राप्ति के दिनांक से 2 माह के अन्दर उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के साथ अपना अनुमोदन दे सकेगी।

(2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में नियमावली के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई भी विनिश्चय करने में असमर्थ रहती है वहाँ यह समझा जायेगा कि राज्य सरकार ने नियमावली को अनुमोदित कर दिया है।

नियमावली को संशोधित करने की शक्ति

34. राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुये और प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन से विद्या परिषद् नये तथा अतिरिक्त नियम बना सकेगी या नियमावली को संशोधित या निरस्त कर सकेगी।

अध्याय–7

प्रकीर्ण

कर्मचारियों की सेवा शर्ते

35. (1) प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के अधीन की जायेगी, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी।

(2) छात्रों या कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विश्वविद्यालय परिनियमों में निहित प्रकिया के अनुसार नियंत्रित होगी।

(3) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर माध्यस्थम अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसमें प्रबन्ध मण्डल द्वारा नियुक्त एक सदस्य, सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा निर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होंगे।

(4) ऐसे मामलों में अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) अधिकरण के कार्यो को विनियमित करने की प्रकिया इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी विहित की जायें।

अपील का अधिकार

36. विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, कैरियर एकेडमी सेन्टर्स के प्रत्येक कर्मचारी को विश्वविद्यालय या किसी ऐसे महाविद्यालय के प्राचार्य, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र, कैरियर एकेडमी सेन्टर के किसी अधिकारी या प्राधिकारी, यथास्थिति विनिश्चय के विरूद्ध प्रबन्ध मण्डल को ऐसे समय के अन्दर, जो विहित किया जायें, अपील करने का अधिकार होगा और उस पर प्रबन्ध मण्डल ऐसे विनिश्चय को, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, पुष्टि उपान्तरित या परिवर्तित कर सकेगा।

भविष्य निधियां एवं बीमा

37. विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिये, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुये जो विहित की जायें, ऐसे भविष्य निधि या ऐसी बीमा योजना की व्यवस्था करेगा, जैसा वह उचित समझे।

विश्वविद्यालय प्राधिकरण और निकायों के गठन के बारे में विवाद

38. यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के अधिकारी या अन्य निकाय का सदस्य के रूप में विधिवत निर्वाचित या नियुक्त किया गया है, या उसका सदस्य होने का हकदार है, तो वह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

समितियों का गठन

39. जब भी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियां नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई हो, वहां ऐसी समितियों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बन्धित प्राधिकारी का कोई, समस्त सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्तियों यदि कोई हो, जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे, सम्मिलित होंगे।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

40. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में से किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी हो, चुना गया हो, और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिये होगा, जिसके लिये वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है/भरती है, सदस्य बना रहता है।

सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण

41. कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी ऐसे विषय के बारे में, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गये परिनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुसार सद्भावनापूर्वक की गई है, या की जाने के लिये आशायित है, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध संस्थित नहीं होगी।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

42. इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये परिनियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों के किसी बात के होते हुए भी :–

(क) प्रथम कुलपति एवं प्रति–कुलपति (प्रो–वाइस चांसलर), यदि कोई है, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उक्त अधिकारी तीन वर्ष की अवधि तक उस पर कार्य करेगा;

(ख) प्रथम कुलसचिव और प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जायेगी, जो तीन वर्ष की अवधि तक उस पद पर कार्य करेगें;

(ग) प्रथम व्यवस्थापक मण्डल में तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए पद-धारण करेगा;

(घ) प्रथम प्रबन्धक मण्डल, प्रथम वित्त समिति और प्रथम विद्या परिषद् का गठन, कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा।

स्थायी विन्यास निधि 43. विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के नाम से प्लेज्ड पाँच करोड़ रूपये की एक स्थायी विन्यास निधि राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारंटी के रुप में स्थापित की जायेगी, जिसकी अवधि पाँच वर्ष की होगी, उसके उपरान्त पुनः पाँच वर्ष के लिये नवीनीकरण कराया जाता रहेगा।

सामान्य निधि 44. (1) विश्वविद्यालय द्वारा एक सामान्य निधि स्थापित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी; अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय द्वारा लिये जाने वाले सभी शुल्क;

(ख) किसी स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि;

(ग) सोसाइटी द्वारा किये गये सभी अंशदान; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान।

(2) सामान्य निधि हेतु आशयित निधि का प्रयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्तक व्ययों की पूर्ति के लिये किया जायेगा।

विकास निधि 45. (1) विश्वविद्यालय द्वारा एक विकास निधि भी स्थापित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित निधियां जमा की जायेगी; अर्थात् :–

(क) विकास शुल्क, जिसे छात्रों से प्रभारित किया जाये;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिये किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि;

(ग) सोसाइटी द्वारा किये गये सभी अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निर्दिष्ट न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान; और

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त समस्त आय।

(2) समय–समय पर विकास निधि में जमा की गयी निधियों का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा।

निधि व अनुसरण 46. धारा 43, 44, और 45 के अधीन स्थापित निधियों को व्यवस्थापक मण्डल के सामान्य पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के अध्यधीन रहते हुये, विहित रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा।

वार्षिक प्रतिवेदन

47. (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रबन्ध मण्डल के निदेशों के अधीन तैयार किया जायेगा और उसे व्यवस्थापक मण्डल को अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) व्यवस्थापक मण्डल, अपनी बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करेगा और वह उसे उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अनुमोदित कर सकता है।

(3) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा विधिवत् अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त हुये वित्त वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष (विजिटर) और राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी।

लेखा व लेखा परीक्षा

48. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और तुलन–पत्र प्रबन्धक मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत या प्राप्त समस्त धनराशि और ऐसी समस्त धनराशि की, जिनका संवितरण या भुगतान किया गया हो, विश्वविद्यालय द्वारा रखे गये लेखों में प्रविष्ट की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं की प्रतिवर्ष लेखा–परीक्षक द्वारा लेखा–परीक्षा की जायेगी, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउन्टेन्ट ऑफ इण्डिया (आई0सी0ए0आई0) के सदस्य हो।

(3) लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखाओं और तुलन–पत्र की एक प्रति, प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से काफी पहले व्यवस्थापक मण्डल को प्रस्तुत की जायेगी।

(4) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा वार्षिक लेखों, तुलन–पत्र और लेखा–परीक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन पर अपनी बैठक में विचार किया जायेगा और व्यवस्थापक मण्डल उन्हें उन पर अपनी अभ्युक्तियों के साथ प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष (विजिटर) और राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

(5) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और लेखा–परीक्षा पर राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देश विश्वविद्यालय के लिये बाध्यकारी होंगे।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति

49. विश्वविद्यालय के कब्जों में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से विधिवत् रखी गई किसी पूंजी की कोई प्रविष्टि यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित हो तो ऐसी रसीद,

आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या पंजिका प्रविष्ट होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और संव्यवहार के लिये साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा, जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गई हो, तो वह साक्ष्य के रूप में स्वीकार होगी।

विश्वविद्यालय का विघटन

50\. (1) यदि सोसाइटी द्वारा विश्वविद्यालय के गठन और निगमन नियंत्रित करने वाली विधि के अनुसार उसके समापन का प्रस्ताव रखती हो तो उसे राज्य सरकार को कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस देना होगा।

(2) विश्वविद्यालय की प्रबन्ध प्रणालियों में कुप्रबन्ध, कुप्रशासन, अनुशासनहीनता, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति में विफल होना एवं आर्थिक कठिनाइयों की पहचान किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के प्रबन्ध व्यवस्था को निर्देश जारी करेगी, जिनका ऐसी समय सीमा के अधीन जैसी विहित की जाये, अनुपालन न होने पर विश्वविद्यालय के परिसमापन का निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।

(3) विश्वविद्यालय का परिसमापन ऐसी रीति से किया जायेगा, जो इस विषय में राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये :

परन्तु यह कि उसके लिये सोसाइटी को 'कारण बताओ नोटिस' के लिए समुचित अवसर प्रदान किये बगैर ऐसी कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की जायेगी।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, भारतीय विधिज्ञ परिषद् और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करके सोसाइटी द्वारा विश्वविद्यालय के विघटन के प्रस्तावित दिनांक से और जब तक नियमित पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच, अपने पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर लें, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

(5) विश्वविद्यालय के विघटन पर सभी सम्पत्ति एवं दायित्व प्रायोजित संस्था (प्रमोटिंग सोसाइटी) में निहित हो जायेगी।

विश्वविद्यालय के विघटन के समय विश्वविद्यालय के व्यय

51. (1) धारा 50 के अधीन विश्वविद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान उसके प्रशासन के लिये होने वाले व्यय स्थायी विन्यास ,निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से पूरा किया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधियाँ, विश्वविद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान व्यय की पूर्ति के लिए पर्याप्त नही है, तो ऐसे व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों अथवा आस्तियों के निस्तारण द्वारा की जा सकती है।

कठिनाईयों का निराकरण

52. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचना या आदेश द्वारा, ऐसे प्राविधान कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु यह कि उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशीध्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और अपवाद

53. (1) उत्तराँचल विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2012 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव।